आवेदन पत्र का प्रारूप

(परिवहन विभाग में वाहन चालक के पद पर वर्ष 2017 में नियमित नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती द्वारा रिक्तियों की पूर्ति)

प्रति

अभिप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें

परिवहन आयुक्त
'सी' ब्लॉक, तृतीय मंजिल,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम — वाहन चालक
2. आवेदक का नाम (हिन्दी) ....
   अंग्रेजी (**Capital Letters** में)

3. लिंगः (पुरूष/महिला) ....
4. पिता/पति का नाम ....
5. पत्र व्यवहार का पता ....
   ....
   ....
6. वर्ग/जाति ....धर्म .... राष्ट्रीयता ....
7. (क) जन्मतिथि अंकों में ....
   शब्दो में ....

   (ख) 1.1.2017 की स्थिति में आयु ....वर्ष.......................माह...................दिन...................

   (ग) क्या आयु सीमा में अतिरिक्त छूट की आवश्यकता है, यदि हॉ तो किस आधार पर व कितने वर्ष ....
   ....
8. वैवाहिक स्थिति– विवाहित/अविवाहित ....

   (क) यदि आप विवाहित हैं तो, क्या आप विधवा /तलाकशुदा हैं :– हां/नहीं
   यदि नहीं तो जीवित पति/पत्नी की संख्या ....

   (ख) 26 जनवरी 2001 या इसके पूर्व जन्मे संतानों की संख्या ....
   (केवल वर्तमान में जीवित संतान)

   (ग) 26 जनवरी 2001 के पश्चात् जन्मे संतानों की संख्या ....
   (केवल वर्तमान में जीवित संतान)
   जीवित संतानों की कुल संख्या ....

9. स्थाई पता यदि कोई हो तो ....

....

....

10. शैक्षणिक योग्यता :–

क	उत्तीर्ण परीक्षा	वर्ष	परीक्षा परिणाम			बोर्ड/विश्व विद्यालय/स्कूल का नाम
			पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7

11. यदि अन्य कोई योग्यता हो तो उसका विवरण ....

12. स्थायी हल्का मोटरयान के अनुज्ञप्ति का जारी कमांक.............................एवं तिथि ....

13. वर्तमान में या पूर्व में किसी शास./अर्द्ध. शास. सेवा में नियोजित रहे हों तो उसका विवरण

क.	धारित पद व वेतनमान	नियोजन की अवधि		सेवामुक्ति का कारण	नियोजन का नाम व पता
		से	तक		
1	2	3	4	5	6

14. यदि खुली प्रकिया से चयनित चालक के रूप में संविदा में किसी विभाग में कहीं कार्यरत् है, तो उसका विवरण

कमांक	विभाग का नाम	कब से	कब तक

//घोषणा–पत्र//

मैं .... घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य पूर्ण और सही हैं एवं आवेदित पद के लिए निर्धारित योग्यता धारित करता/करती हूं । मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूची गलत, असत्य ,अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी किसी भी चरण में रद्द या निरस्त की जा सकती है। इसमें किसी प्रकार की गलत जानकारी के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी एवं यदि मेरी नियुक्ति हो जाती है तो इस आधार पर मेरी सेवाऐं समाप्त की जा सकती है ।

स्थान ....

दिनांक ....   आवेदक के हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

संलग्नों की सूची निम्न कम से संलग्न करें, जो संलग्न लागू नहीं है, उसे (×) करें।

(1)आयु हेतु 10वी का प्रमाण–पत्र की प्रति ।

(2)शैक्षणिक योग्यता हेतु प्रमाण–पत्र/अंकसूची की प्रति ।

(3) वैध/स्थायी हल्के मोटरयान अनुज्ञप्ति की प्रति ।

(4)मूल निवास प्रमाण–पत्र की प्रति ।

(5)आरक्षित वर्ग हेतु स्थायी जाति प्रमाण–पत्र की प्रति ।

(6)आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण–पत्र की प्रति ।

(7)अन्य विभाग में कार्यरत् अभ्यर्थी हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र की मूलप्रति ।

(8)संविदा पर कार्यरत् हेतु संबंधित विभाग से अनुभव प्रमाण–पत्र की मूल प्रति ।

कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़

'सी' ब्लॉक, तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

// सीधी भर्ती पद हेतु विज्ञापन//

परिवहन विभाग के विभागीय सेटअप में स्वीकृत वाहन चालक (वेतनमान 5200–20200+ ग्रेड वेतन 1900) के रिक्त पदों पर छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय/अलिपिक वर्गीय) परिवहन सेवा की भर्ती नियम 2013 के प्रावधानों के तहत् परिवहन आयुक्त कार्यालय, नया रायपुर तथा मैदानी कार्यालयों में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु संबंधित वर्ग के उम्मीदवारों से आवेदन–पत्र दिनांक 16–10–2017 संध्या 05:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।

क्रं.	वर्ग का नाम	विज्ञापित 24 पदों का विवरण		
		संवर्गवार स्वीकृत कुल पद	महिला हेतु आरक्षित पद	भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पद
1	अनारक्षित	10	03	01
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	01	00
3	अनुसूचित जाति	03	01	00
4	अनुसूचित जनजाति	08	02	01
योग		24	07	02

नोट :–पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है ।

1. शैक्षणिक अर्हता :–

(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

या

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण ,

या

10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से तीन वर्षीय डिप्लोमा।

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध/स्थायी हल्का मोटरयान चालक अनुज्ञप्ति,

2. शारीरिक मापदण्ड :–

अभ्यर्थी चिकित्सीय रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए, उसमें फ्लैट फुट, नॉक–नी, आंखों से संबंधित बीमारी नहीं होना चाहिए, आंख की दृष्टि 6/9 एवं 6/12 होनी चाहिए और मुख्य रंगो के बीच विभेद करने में सक्षम होना चाहिए तथा कान (श्रवण) से संबंधित कोई दोष नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी के स्वास्थ्य (फिटनेस) के बारे में निर्णय सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर होगा तथा यदि आवश्यक हो तो जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस संबंध में सलाह ले सकेगा ।

3. आयु सीमा :–

(1) उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए (छ.ग. राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)। आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होगें । आवेदकों को शासन के नियमानुसार आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर छूट दी जावेगी।

(2) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के परिपत्र कमांक एफ 3–2/2002/1–3, दिनांक 27–09–2013 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट दी जाकर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तथा विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय अन्य छूट यथावत लागू रहेंगी, किन्तु ऐसी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टीप :– आयु सीमा की गणना 01.01.2017 की स्थिति में की जावेगी ।

(4) चयन हेतु निर्धारित अंकः–

1/शैक्षणिक योग्यता	– 20 अंक (शैक्षणिक योग्यता में उल्लेखित परीक्षाओं के प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत के आधार पर)
2/वाहन चालन समक्षता के लिए	– 20 अंक (बोलेरो एवं कार दोनों वाहनों से परीक्षण किया जावेगा)
3/सैद्धांतिक परीक्षा मौखिक	– 10 अंक (यातायात नियम, वाहनों के कलपुर्जे, रखरखाव आदि की सामान्य जानकारी)
4/बोनस अंक	– शासकीय/अर्द्ध–शासकीय अथवा निगम/मंडल में खुली भर्ती प्रकिया के तहत् चयनित संविदा पर आवेदन तिथि

तक निरंतर कार्यरत् वाहन चालकों को प्रतिवर्ष अनुभव के लिए 02 अंक ।

4. नियम एवं शर्तेः–

(1) आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। पुष्टि हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण –पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की जाये।

(2) यदि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग/जाति का है तो उसे वर्ग/जाति के समर्थन में समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

(3) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण में अंकसूचियों की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता व अन्य अतिरिक्त योग्यताओं का विवरण दें।

(4) अन्य शासकीय /अर्द्धशासकीय /निगम/मंडल सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत् कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियुक्तिकर्ता अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र में संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

(5) छत्तीसगढ़ के निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी जो म.प्र. से छ.ग. के लिए आबंटित हुए हैं, उनसे संबंधित कर्मचारी अपने प्रशासकीय विभाग से कार्यरत होने का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

(6) निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी जिनका छ.ग. में गठन नहीं हुआ है उनके कर्मचारी अपने संबंधित प्रशासकीय विभाग से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि उनका निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम का छ.ग. में गठन नहीं किया गया है तथा गठन नहीं करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है।

(7) स्पष्ट पहचान वाला पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटोग्राफ आवेदन पत्र में निर्धारित जगह पर अच्छी तरह से चिपकाया जाये, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो। स्वयं द्वारा प्रमाणित किया हुआ।

(8) चयन प्रकिया शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संपादित की जायेगी।

(9) आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा । रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता व अन्य आवश्यक प्रकिया /मापदण्डों पर निर्भर करेगी। कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य होगा।

(10) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति हेतु किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है, तो उसका आवेदन पत्र अमान्य किया जावेगा तथा इस संबंध में का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

(11) आवेदन पत्र सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त आवेदन पत्र ही स्वीकृत किये जायेगें। आवेदक के विलंब अथवा अप्राप्त होने की स्थिति में परिवहन विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी ।

(12) आवेदक द्वारा लिफाफे पर " वाहन चालक" के पद पर सीधी भर्ती तथा जिस वर्ग (सामान्य/अपिव/अजा/अजजा) हेतु आवेदन –पत्र प्रेषित किया गया है वह स्पष्ट लिखा होना चाहिये ।

(13) आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 16–10–2017 के सायं 5:00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय, 'सी' ब्लॉक, तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0) के पते पर प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।

(14) उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार टंकित कराकर आवश्यक प्रविष्टियॉ सुस्पष्ट अक्षरों में स्वयं पूर्ति करें। निर्धारित प्रारूप के अनुसार न होने, अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण, अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र अमान्य किये जायेंगे। उम्मीदवार को इसके संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी ।

(15) आवेदन पत्र में केवल अतंर्राष्ट्रीय अंकों (जैसे– 0,1,2,3,.............................) का प्रयोग किया जाये।

(16)भर्ती से संबंधित जानकारी समय–समय पर छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के वेबसाईट **www.cgtransport.org** में उपलब्ध करायी जायेगी ।

(ओम प्रकाश पाल)
अपर परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़, नया रायपुर